अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध
सामूहिक बीमा

संख्या- यू.ओ.50 /9-1-13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 13 नवम्बर, 2013

विषय : स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगरपालिका, जिला परिषद् इत्यादि द्वारा संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सामूहिक बीमा की धनराशि प्रदान किए जाने की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किये जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा अनुभाग-8 उ0प्र0शासन के शा0सं0 644/15-8-13-13(वि0प0नियम)/13, दिनांक 30 अगस्त, 2013 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की भांति स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगरपालिका, जिला परिषद् इत्यादि द्वारा संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सामूहिक बीमा की धनराशि प्रदान किए जाने की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 30 अगस्त, 2013 में उल्लिखित व्यवस्था से समस्त संबधित नागर निकायों को अवगत कराते हुए, आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथ ही समय-समय पर मामले में हुयी प्रगति की जानकारी भी शासन को कृपया दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

08/11/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः यू0ओ0 50 (1)/9.1.13-, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त संबधित जिलाधिकारी/नगर आयुक्त (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
3. समस्त संबधित निकाय-न0पं0/न0पा0प0/न0नि0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
4. शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, हजरतगंज, लखनऊ।(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
5. नगर विकास अनु0 6 एवं 7
6. संदर्भदाता कृ0 पत्रावली सं0 07सहा0अनु0/01 में रखने हेतु।
7. गार्ड बुक।
8. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त संबधित को ई-मेल एवं विभागीय साइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।

संख्या– 614 /15–8–13–13(वि0प्र0नियम)/13

प्रेषक,

एफ0एन0 प्रधान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)
उ0प्र0, लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2013

विषय:– स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद् इत्यादि द्वारा संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सामूहिक बीमा की धनराशि प्रदान किए जाने की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या–पेंशन(2)/4427/12–13, दिनांक 3–3–2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की भाँति स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद् इत्यादि द्वारा संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सामूहिक बीमा की धनराशि प्रदान किए जाने की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11/1065/दस–2012, दिनाक 22–8–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एफ0एन0 प्रधान)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0
4. समस्त उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0।
5. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त संबंधित निकाय।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एफ0एन0 प्रधान)
विशेष सचिव।